[2019] 14 एस. सी. आर. 389

ए.

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.

डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड। (2019 की सिविल अपील संख्या 8550) 13 नवंबर, 2019

बी.

[अरुण मिश्रा और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 11 (6)-मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन-बीमाकृत द्वारा दावे के निर्वहन में बीमाकर्ता को दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों/निर्वहन वाउचरों के संदर्भ में विवाद की मध्यस्थता की जांच करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता-आर्थिक दबाव या जबरदस्ती, यदि मौजूद है-2011 में, प्रत्यर्थी -बीमाकृत ने अपीलार्थी से उसके तीन अलग-अलग गोदामों में पड़े सामान के स्टॉक को कवर करने के लिए मानक आग और विशेष जोखिम नीति प्राप्त की-कुल बीमित राशि 13 करोड़ रुपये थी-<ID4 पर, गोदामों में स्टॉक को नष्ट करने के लिए आग लग गई-अपीलार्थी नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता-प्रत्यर्थी ने '14.88 करोड़ रुपये के लिए दावा किया-सर्वेक्षणकर्ता ने' 14.88 के भुगतान की सिफारिश की06.06.14, प्रत्यर्थी ने पत्र डी. टी. डी. वापस ले लिया।31.05.14 दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए डिस्चार्ज वाउचर के साथ प्रस्तुत किया गया-प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि दावा की गई कुल राशि और अंतिम दावा निपटान राशि के बीच भारी अंतर को हल करने की आवश्यकता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्यर्थी नीति के नियमों और शर्तों के अनुसार मध्यस्थता का आह्वान करेगा-प्रत्यर्थी ने आवेदन यू/एस दायर किया।11(6) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए-एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमत-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःएक पीड़ित पक्ष आर्थिक दबाव का शिकार हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप वह एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है जो दूसरे पक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करता है-दो साल से अधिक समय तक फैले कई पत्रों में कहा गया है कि प्रत्यर्थी दावे के निपटारे में देरी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, अपीलार्थी को संबोधित किया गया था-प्रत्यर्थी के आवेदन का समग्र पठन यू/एस।11(6) यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसकी शिकायत

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

389 ए.

390 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 14 एस. सी. आर.

निर्वहन वाउचर की अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में स्पष्ट किया गया था-इस स्तर पर, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक मध्यस्थ विवाद मौजूद है, जबरदस्ती की याचिका की वास्तविकता/विश्वसनीयता के बारे में प्रथम दृष्टया आश्वस्त होना चाहिए-यह याचिका की प्रकृति के बारे में बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता है, जिसे अनिवार्य रूप से मूल (मध्यस्थता) कार्यवाही में बनाया और स्थापित किया जाना है-विवादित निर्णय में तर्क को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

बी.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा**,**

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** बोघारा पॉलीफैब में दर्ज निष्कर्षों का प्रस्ताव **(iii)** देय भुगतानों को रोकने के कारण दबाव या जबरदस्ती की कल्पना करता है।न्यायालय ने एक से अधिक स्थानों पर माना कि एक पीड़ित पक्ष आर्थिक जबरदस्ती का शिकार हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप वह एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है जो दूसरे पक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करता है।**[**पैरा **18] [410-**सी**-**डी**]**

सी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड

(2009) 1 एससीसी **267:[2008] 13** एस**.** सी**.** आर**. 638-**पर निर्भर।

डी.

न्यू इंडियन एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015) 2 एस. सी. सी. 424:[2014] 12 एससीआर

360 ; भारत संघ **(**यू**.** ओ**.** आई**.)** और ओ**.** आर**.** एस**.** बनाम मास्टर

निर्माण कंपनी (2011) 12 एस. सी. सी. 349:[2011] 5 एससीआर

853; वेलुगुबंती हरि बाबू बनाम पार्वतीनी नरसिम्हा

ई.

राव और अन्र। (2016) 14 एससीसी 126:[2016] 3 एससीआर 228;

ओ. एन. जी. सी. मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम ए. एन. एस. कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और ए. एन. आर. (2018) 3 एससीसी 373:[2018]

2 एस**.** सी**.** आर**. 598-**संदर्भित।

1.2 यद्यपि धारा **11 (6),** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** के तहत प्रारंभिक आवेदन में अभिवचन कमजोर हैं**,** फिर भी**,** पक्षकारों के बीच पत्राचार की प्रतियों के रूप में रिकॉर्ड पर सामग्री**-**जो **2** वर्षों से अधिक समय तक फैली हुई है**,** स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रत्यर्थी बार**-**बार यह कहता रहा कि वह वित्तीय संकट का सामना कर रहा था**;** इसने अपने व्यवसाय के लिए प्राप्त क्रेडिट और बैंक को वापस करने की तात्कालिकता का उल्लेख किया। सर्वेक्षक की रिपोर्ट**,** दिनांक **14.08.2014,** ने प्रत्यर्थी को **'12,93,26,704.98-**के भुगतान की सिफारिश की।अपीलार्थी ने कुछ सूची और बिक्री के आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए मामले को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म को भेजा।यह बाद वाले की रिपोर्ट के अनुसार गया**,** जिसने कहा कि ए

एफ.

जी.

एच.

391

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड।

कि नुकसान का अनुमान **'7,16,30,148/-** से अधिक नहीं हो सकता है।मई**, 2014** तक प्रत्यर्थी को यही पेशकश की गई थी।धारा **11 (6)** के तहत प्रत्यर्थी का आवेदन अपीलार्थी को लिखे गए पत्रों की संख्या के संदर्भों से भरा हुआ है**,** जिसमें राशि जारी करने की मांग की गई है**;** इसने अपने आयकर बकाया का भुगतान करने में असमर्थता**,** बैंकरों के दबाव **(**जिसके समर्थन में**,** आवेदन के साथ बैंकरों के पत्रों की प्रतियां पेश की गई थीं**)** को भी माना।**[**पैरा **19] [410-**एच**; 411-**ए**-**सी**]**

बी.

1.3 प्रत्यर्थी के आवेदन **(**धारा **11 (6)** के तहत**)** को समग्र रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्वहन वाउचर की अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में इसकी शिकायत व्यक्त की गई थी।दो साल से अधिक समय तक चले कई पत्रों में कहा गया था कि दावे के निपटारे में देरी के कारण यह वित्तीय संकट का सामना कर रहा है**,** अपीलार्थी को संबोधित किया गया था। धारा **11 (6)** के तहत एक आवेदन एक अभिवचन के रूप में होता है जो केवल एक मध्यस्थ

की नियुक्ति के लिए न्यायालय के आदेश की मांग करता है।यह उन दलीलों या दलीलों के बारे में निर्णायक नहीं हो सकता है जो दावेदार या संबंधित पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में ले सकते हैं। इस स्तर पर, इसलिए, न्यायालय-जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक मध्यस्थता विवाद मौजूद है, को प्रथम दृष्टया जबरदस्ती की याचिका की वास्तविकता या विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होना होगा; यह याचिका की प्रकृति के बारे में बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता है, जिसे अनिवार्य रूप से मूल (पढ़ेः मध्यस्थता) कार्यवाही में बनाया और स्थापित किया जाना है।यदि न्यायालय एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है और याचिका की बारीकी से जांच करता है और इसकी विश्वसनीयता या तर्कसंगतता का न्याय करता है, तो आवेदक को एक मंच से पूरी तरह से वंचित करने का खतरा होगा, क्योंकि आवेदन की अस्वीकृति निष्कर्ष (निर्वहन की अंतिमता और संतुष्टि के रूप में इसके प्रभाव के बारे में) को अंतिम बना देगी, इस प्रकार, आवेदक को दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए अपने सही घटना से वंचित कर देगा।ऐसे हैं फैसले

सी.

डी.

ई.

एफ.

यह न्यायालय (एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन बनाम पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड)।

(2008) 16 एस. सी. सी. **128** और बोघारा पॉलीफैब ने आर्थिक दबाव की अवधारणा को बरकरार रखा।तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि विवादित निर्णय में तर्क को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।[पैरा **21] [412-**डी-एच; **413-**एच]

जी.

एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन बनाम पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड।

(2008) 16 एस. सी. सी. **128-**संदर्भित।

एच.

ए.

संदर्भित निर्णय

[2014] 12 एससीआर **360**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2008] 13 एससीआर **638**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8 [2011] 5** एस**.** सी**.** आर**. 853** पैरा **8 [2016] 3** एस**.** सी**.** आर**. 228** पैरा **17 [2018] 2** एस**.** सी**.** आर**. 598** पैरा **17 (2008) 16** एस**.** सी**.** सी**. 128** पैरा **21** को संदर्भित

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 8550।

सी.

2015 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 5 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 13.10.2015 से।एस. एल. गुप्ता, कुलदीप सिंह तोमर, आशुतोष शर्मा, एम. एस. मंगला, ब्रह्म शंकर कुमार, नीरज श्रीवास्तव, माताप्रसाद सिंह, सुश्री रंजना आर. सिंह, वरिंदर कुमार शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।श्रीश कुमार मिश्रा, राजेश मेहता, सुश्री दीपिका मिश्रा, बिमलेश पांडे, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

एस**.** रवींद्र भट्ट**,** न्याय०

1. छुट्टी दे दी गई।वकील की सहमति से, अपील पर आखिरकार सुनवाई हुई।ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "बीमाकर्ता" या "अपीलकर्ता") बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील करता है, जिन्होंने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम") की धारा 11 (6) के तहत प्रतिवादी के आवेदन की अनुमति दी और एक मध्यस्थ नियुक्त किया।बीमाकर्ता की आवेदन की रखरखाव के बारे में आपत्ति इस आधार पर कि प्रत्यर्थी (इसके बाद "डिसाइटेक्स") ने निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर किए थे और प्रस्तावित राशि को स्वीकार कर लिया था, इस प्रकार, समझौते और संतुष्टि को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि कोई मध्यस्थता विवाद नहीं था, को खारिज कर दिया गया था।

एफ.

जी.

2. इस अपील में प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि 17.09.2011 पर, डिसाइटेक्स ने एक मानक अग्नि और विशेष संकट नीति प्राप्त की; यह अपीलार्थी द्वारा ठाणे, महाराष्ट्र में स्थित अपने तीन

अलग-अलग गोदामों में पड़े माल के भंडार को कवर करने के लिए तीन अलग-अलग अनुमोदनों द्वारा जारी किया गया था।बीमाकृत कुल राशि 13 करोड़ रुपये थी।नियम और शर्तों का खंड 13 ए

एच.

393

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

उक्त नीति में एक मध्यस्थता खंड शामिल था।आर. एफ. सी. एल. द्वारा कब्जा की गई इमारत के भूतल पर रात में आग लग गई, जो इमारत की पहली मंजिल तक फैल गई और अपीलार्थी के सभी तीन गोदामों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जिन्होंने अपना सामान रखा था। तीनों गोदामों के सभी स्टॉक पूरी तरह से नष्ट हो गए थे।डिसाइटेक्स ने अपीलार्थी को 26.05.2012 पर आग और उसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान के बारे में सूचित किया। अपीलार्थी ने मेसर्स सी. पी. मेहता एंड कंपनी को सर्वेक्षणकर्ता और मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया ताकि डिसाइटेक्स को हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया जा सके और उक्त कंपनी द्वारा बीमाकर्ता-अपीलार्थी पर दर्ज किए जाने वाले दावे पर रिपोर्ट दी जा सके।डिसाइटेक्स ने अपीलार्थी पर कुल और अंतिम दावा दर्ज किया जिसमें नष्ट की गई सामग्री की लागत के लिए '14,88,14,327/- जिसमें' 13,52,85,752/- और '1,35,28,575/- ओवरहेड्स के रूप में शामिल हैं।डिसाइटेक्स का यह भी दावा है कि उसने बीमाकर्ता को किए गए दावे के समर्थन में व्यापक दस्तावेजी साक्ष्य और विस्तृत कार्य पत्रक प्रस्तुत किए हैं।<ID1 पर, डिसाइटेक्स के कारखाने और गोदामों का दौरा करने के बाद, और अपने दावे के समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जांच करने के बाद, बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता ने एक अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट दायर की जिसमें सिफारिश की गई कि दावे का निपटान '12,93,26,704.98 की राशि के लिए किया जाए और अतिरिक्त के लिए अनिवार्य कटौती के लिए 5 प्रतिशत की राशि काटने के बाद,' 12,28,60,369/- की शुद्ध राशि का भुगतान डिसाइटेक्स को किया जाए।उत्तरार्द्ध ने आरोप लगाया कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति उसे, बीमाकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।3. 20.09.2012 पर, डिसाइटेक्स ने अपीलार्थी के अध्यक्ष को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें उसे वित्तीय संकट के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर दावे के निपटारे का अनुरोध किया गया था। डिसाइटेक्स ने उन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से उच्च ब्याज दर पर 3 महीने के लिए प्राप्त 10 करोड़ रुपये के अस्थायी ऋण के बारे में भी सूचित किया, जो सितंबर 2012 में चुकाने के लिए देय था और उनसे अनुरोध किया कि यह एक बड़ी वित्तीय सहायता होगी यदि इसके दावे को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा सके जिससे उनकी कठिनाइयों को कम किया जा सके। पुनः, आईडी1 पर, डिसाइटेक्स ने बीमाकर्ता को सूचित किया कि नष्ट किए गए माल का बिक्री मूल्य 19 करोड़ रुपये से अधिक था और उसने न केवल अपना माल बल्कि अपना लाभ भी खो

दिया था।डिसाइटेक्स ने सूचित किया कि उसने पहले ही सर्वेक्षक, मेसर्स सी. पी. मेहता एंड कंपनी को दावे का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए थे, फिर भी एक और पत्र अपीलार्थी के अध्यक्ष को 31.10.2012 पर संबोधित किया गया था जिसमें रिकॉर्ड रखा गया था कि उसने सर्वेक्षक मेसर्स सी. पी. मेहता एंड कंपनी से समझा था कि अपीलार्थी के मुख्य कार्यालय ने दावे के संबंध में कुछ और जानकारी मांगी थी।डिसाइटेक्स ने कहा कि लगभग 35,000 की संख्या में विभिन्न दस्तावेजों को संकलित करने, व्यवस्थित करने और भेजने में भारी काम करना पड़ता है।यह कहा गया था कि

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

सर्वेक्षणकर्ता पहले ही उन दस्तावेजों को देख चुका था और विभिन्न संबंधित अभिलेखों के यादृच्छिक नमूने ले चुका था।डिसाइटेक्स ने कहा कि वह दस्तावेजों को संकलित करने की व्यवस्था कर रहा है और उन्हें जल्द से जल्द सर्वेक्षणकर्ता को भेजने पर सहमत हो गया है।अन्य पत्रों में (दिनांक 10.01.2012,28.01.2013), बीमाकर्ता से फिर से राशि जारी करने का अनुरोध किया गया था।जाहिरा तौर पर, अपीलार्थी ने अपने (डिसाइटेक्स) द्वारा किए गए दावे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (मेसर्स नवीन झंड एंड एसोसिएट्स) को नियुक्त किया।उत्तरार्द्ध ने पहले से ही भौतिक रूप से 37,700 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जो मीटर में साज-सज्जा कपड़ों की सटीक मात्रा को दर्शाते थे।डिसाइटेक्स ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के ध्यान में लाया कि नए सर्वेक्षणकर्ताओं ने फिर से बड़ी संख्या में दस्तावेज मांगे हैं और ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं।09.02.2013 पर, नए सर्वेक्षक मेसर्स नवीन झंड को संबोधित करते हुए, डिसाइटेक्स ने 37,700 दस्तावेज जमा किए और उक्त नए सर्वेक्षक को आगे के दस्तावेज जमा किए।इसने प्रस्तुत किया कि पिछले 9 महीनों से, यह अलग-अलग लोगों को अलग-अलग दस्तावेज/जानकारी प्रदान कर रहा था और नए सर्वेक्षणकर्ता

द्वारा जो भी अनुरोध किया गया था उसे व्यापक रूप से प्रस्तुत किया और उनसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

बी.

सी.

डी.

4. बीमाकर्ता द्वारा भेजे गए प्रारूप के अनुसार और डिसाइटेक्स के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद उसे साढ़े तीन करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया।डिसाइटेक्स ने 04.03.2013 पर डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर किए, जब बीमाकर्ता ने अपने दावे के मामले में 'खाते में भुगतान' के रूप में डिसाइटेक्स को 3.5 करोड़ रुपये की उक्त राशि का भुगतान किया।यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उक्त निर्वहन वाउचर का समर्थन किया।डिसाइटेक्स के अनुसार, नए सर्वेक्षक द्वारा मांगी गई सभी जानकारी उसके द्वारा प्रदान की गई थी।नए सर्वेक्षणकर्ता, अपीलार्थी और डिसाइटेक्स के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकें हुईं।डिसाइटेक्स ने 2013 में राशि जारी करने के संबंध में अपीलार्थी और सर्वेक्षणकर्ता को कई पत्रों का उल्लेख किया।डिसाइटेक्स ने यह भी कहा था कि वह दृढ़ता से महसूस करता है कि नया सर्वेक्षणकर्ता उसके द्वारा प्रदान किए गए सभी आंकड़ों से संतुष्ट नहीं था, हालांकि उसने जो भी डेटा प्रस्तुत किया था, वह उसके वास्तविक दावे को साबित कर चुका था और नए सर्वेक्षणकर्ता का इरादा किसी तरह दावे को कम करना था।अन्य पत्रों में (जैसे कि दिनांकित 21.02.2014), डिसाइटेक्स ने अपीलार्थी को सूचित किया कि सर्वेक्षणकर्ता किसी भी निश्चित तिथि के लिए प्रतिबद्ध होने से इनकार कर रहा था जिसके भीतर वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अपीलार्थी के अधिकारियों के पास इस संबंध में उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था कि उसके दावे का निपटारा कब किया जाएगा।डिसाइटेक्स ने महाप्रबंधक से उनके दावे को जल्द से जल्द निपटाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का अनुरोध किया।इसने अपीलार्थी के अधिकारियों को दावे के निपटारे में देरी के कारण हुए भारी वित्तीय नुकसान के बारे में कई पत्र लिखे।डिसाइटेक्स ने महाप्रबंधक को 15 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करने के लिए सूचित किया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

5. 27 मई, 2014 को, डिसाइटेक्स को अपीलार्थी से एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि देय दावे की शेष राशि के लिए एक निर्वहन वाउचर संलग्न किया जा रहा है जैसा कि वर्णित है।बायीं ओर निर्धारित स्थान पर बैंक के निर्वहन के साथ वाउचर को निष्पादित करने और स्कैन की गई प्रति को वापस भेजने का अनुरोध किया गया था।28.05.2014 दिनांकित ईमेल द्वारा, डिसाइटेक्स ने 27.05.2014 के ईमेल का जवाब दिया और हस्ताक्षर के लिए अपीलार्थी द्वारा भेजे गए डिस्चार्ज वाउचर का उल्लेख किया।डिसाइटेक्स ने रिकॉर्ड में रखा कि इसका कुल दावा लगभग 15 करोड़ था और सर्वेक्षणकर्ता ने इसका आकलन लगभग 1 करोड़ रुपये किया था।डिसाइटेक्स ने कहा कि 7.16 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंचने का आधार (अपीलार्थी द्वारा) स्पष्ट नहीं किया गया था।इसने अपीलार्थी के क्षेत्रीय प्रबंधक से अनुरोध किया कि वे अपनी समझ के लिए काम करने वाले दावे का मूल्यांकन प्रदान करें ताकि डिसाइटेक्स इस मामले को अपने निदेशक मंडल के साथ विचार के लिए उठा सके।अपीलार्थी ने 29.05.2014 दिनांकित ईमेल द्वारा आरोप लगाया कि मेसर्स सी. पी. मेहता एंड कंपनी ने शुरू में '12,28,60,369/- पर नुकसान का आकलन किया था।हालाँकि, लागत पर कुछ मुद्दे थे; इसलिए इसने मेसर्स नवीन झंड और एसोसिएट्स को लागत पहलू पर एक बार फिर से गौर करने और नुकसान मूल्यांकन उद्देश्य के लिए लागत की पुनः पुष्टि/सत्यापन करने के लिए नियुक्त किया।मेसर्स नवीन झंड एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन ने '7,16,30,148/- तक काम किया और तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने दावा स्वीकार कर लिया था।अपीलार्थी ने दावे के कार्यकरण को संलग्न किया और डिसाइटेक्स से अनुरोध किया कि वह इसे देखे और उसके और बैंकरों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक बिना शर्त निर्वहन वाउचर भेजे।डिसाइटेक्स, बीमित व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया और अपीलार्थी को सूचित किया कि उसने देखा था कि जो दिया गया था वह केवल गणना का एक विवरण था, बिना स्पष्टीकरण/आधार के, कि समायोजन में डिसाइटेक्स के दावे में 50 प्रतिशत से अधिक की परिणामी कटौती थी जैसा कि अपीलार्थी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता द्वारा मूल्यांकन किया गया था।डिसाइटेक्स ने कहा कि चूंकि अपीलार्थी को दावे के अंतिम निपटारे की पेशकश करने में 2 साल लग गए थे, इसलिए वह (डिसाइटेक्स) एक बड़ी वित्तीय बाधा से पीड़ित था और उसे बैंक ब्याज और किश्तों, वेतन और मजदूरी का भुगतान करना था, इसलिए उसके पास अपीलार्थी के प्रस्ताव को अनिच्छा से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और तदनुसार वह आवश्यक कार्य करने के लिए डिसाइटेक्स और उनके बैंकरों द्वारा विधिवत जारी किए गए वाउचर को भेज रहा था। डिसिटेक्स ने आरोप लगाया कि चूंकि अपीलार्थी नरम नहीं हुआ, और जोर देकर कहा कि कोई भी आगे का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब निर्वहन वाउचर को ठीक उसी समय और उसके द्वारा आवश्यक रूप और तरीके से निष्पादित किया गया था और साथ ही साथ 31.05.2014 दिनांकित पत्र को वापस ले लिया गया था।डिसाइटेक्स ने कहा कि चूंकि उसे अपनी बढ़ती देनदारियों को पूरा करने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसे अपने पहले के 31.05.2014 पत्र को वापस लेने और निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया था

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

निर्वहन वाउचर ठीक वैसा ही जैसा उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित किया गया है।क्षेत्रीय प्रबंधक को संबोधित 06.06.2014 दिनांकित पत्र द्वारा, डिसाइटेक्स ने अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए डिस्चार्ज वाउचर के साथ प्रस्तुत किए गए 31.05.2014 दिनांकित पत्र को वापस ले लिया।इसने अपीलार्थी से दावे की राशि तुरंत जमा करने का अनुरोध किया।डिस्चार्ज वाउचर अपीलार्थी के लेटर हेड पर था, जिसे डिसाइटेक्स के बैंकरों द्वारा विधिवत समर्थन दिया गया था।डिस्चार्ज वाउचर में, यह दर्ज किया गया था कि उसने अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में '3,66,30,148/- की राशि स्वीकार की।यह भी दर्ज किया गया कि डिसाइटेक्स ने स्वेच्छा से उक्त हानि/दुर्घटना के संबंध में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले अपने दावे, वर्तमान या भविष्य के पूर्ण और अंतिम निपटारे में निर्वहन रसीद दी और नुकसान/क्षति के संबंध में अपीलार्थी को अपने सभी अधिकारों और उपचारों को कम कर दिया।आगे पत्राचार हुआ जिससे डिसाइटेक्स ने अपीलार्थी को सूचित किया कि चूंकि उसके द्वारा दावा की गई कुल राशि और अपीलार्थी द्वारा अंतिम दावा निपटान राशि के बीच एक बड़ा अंतर था, इसलिए उस पर चर्चा और समाधान करने की आवश्यकता थी, जिसमें विफल रहने पर डिसाइटेक्स को नीति से जुड़े नियमों और शर्तों के खंड 13 के अनुसार मध्यस्थता का आह्वान करने की आवश्यकता होगी।अपीलार्थी ने डिसाइटेक्स को संबोधित 17.07.2014 दिनांकित पत्र द्वारा सूचित किया कि वह उक्त नुकसान के पूर्ण और अंतिम निपटान में '7,16,30,148/- की राशि के लिए क्लीन डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद मध्यस्थता का आह्वान करने के प्रस्ताव से आश्चर्यचकित था।प्रत्यर्थियों ने इस बात से इनकार किया कि उक्त दावे के संबंध में मात्रा का कोई विवाद मौजूद है और तर्क दिया कि पॉलिसी से उत्पन्न क्षतिपूर्ति से उत्पन्न होने वाली डिसाइटेक्स के कारण होने वाली राशि का विधिवत सत्यापन और मूल्यांकन डिसाइटेक्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया गया था।अपीलार्थी किसी भी अंतर राशि के लिए

डिसाइटेक्स के अनुरोध या नीति के तहत मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ने के अनुरोध से सहमत नहीं था।24.07.2014 पर, अपीलार्थी को संबोधित एक पत्र द्वारा, डिसाइटेक्स ने इस बात से इनकार किया कि उसके द्वारा प्राप्त राशि उनके दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में एक स्वच्छ निर्वहन वाउचर थी और दोहराया कि उसे '14,16,94,329/- का बड़ा नुकसान हुआ। सर्वेक्षक, मेसर्स सी. पी. मेहता एंड कंपनी ने '12.93 करोड़ के नुकसान का आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।डिसाइटेक्स ने यह भी रिकॉर्ड में रखा कि लगभग 'आईडी2 करोड़' के दावे के मुकाबले, अपीलार्थी ने 'आईडी1' पर केवल 3.50 करोड़ रुपये जारी किए, यानी नुकसान होने के लगभग 10 महीने बाद, और 27 महीने के अंतराल के बाद, अपीलार्थी ने अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए 'इसे ले लें या छोड़ दें' का 7.16 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया, जिसके कारण निर्वहन को अनिच्छा से स्वीकार कर लिया गया।डिसिटेक्स ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी के अधिकारियों से मिलने पर, उसे विरोध पत्र वापस लेने और दावे के समझौते को बिना शर्त स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था जो जबरदस्ती का प्रमाण था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

397

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

6. अपीलार्थी द्वारा लिया गया रुख यह था कि डिसाइटेक्स को उनके दावे के स्पष्ट निर्वहन और पूर्ण और अंतिम निपटारे में '7,16,30,148/- का भुगतान किया गया था और दावे की मात्रा के संबंध में कोई विवाद नहीं था और किसी भी मध्यस्थ को नियुक्त करने से इनकार कर दिया।इन परिस्थितियों में, डिसाइटेक्स ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।डिसाइटेक्स ने मेसर्स सी. पी. मेहता एंड कंपनी के आकलन पर भरोसा किया, जिसने '12.93 करोड़ के नुकसान का आकलन किया था।इसने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने आग लगने के कारण डिसाइटेक्स को हुए नुकसान के लगभग 10 महीने बाद आईडी1 पर केवल 3.50 करोड़ रुपये जारी किए और 27

महीने के अंतराल के बाद ही अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए 7.16 करोड़ रुपये का "इसे ले लें या छोड़ दें" का प्रस्ताव दिया।डिसाइटेक्स ने कहा कि उसने एक बड़ी राशि का ऋण लिया था और उसे उच्च ब्याज का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा था और समय पर ऋण चुकाने में खुद को चूकते हुए पाया।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि डिसाइटेक्स समय पर आयकर का भुगतान करने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप, उसे आयकर के विलंबित भुगतान के लिए वर्ष 2012-2013 में '23.90 लाख और वर्ष 2013-2014 में' 11.10 लाख की राशि का भुगतान करना पड़ा।डिसाइटेक्स की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यह आर्थिक दबाव और जबरदस्ती के अधीन था जिसके परिणामस्वरूप डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर किए गए, जो मध्यस्थता समझौते के आह्वान को रोक नहीं सका।

बी.

सी.

डी.

7. अपीलार्थी ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि डिसाइटेक्स ने यह प्रदर्शित नहीं किया था कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित दूसरा निर्वहन वाउचर मध्यस्थता समझौते के तहत आर्थिक या वित्तीय दबाव में था या नहीं।यह आग्रह किया गया कि चूंकि डिसाइटेक्स ने निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर किए थे और उत्तरदाताओं द्वारा किए गए भुगतान को बिना शर्त स्वीकार कर लिया था और पुष्टि की थी कि उक्त भुगतान उनके दावे, वर्तमान या भविष्य के पूर्ण और अंतिम निपटान में प्राप्त किया गया था, जो उक्त नुकसान/दुर्घटना के संबंध में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुआ था और नुकसान/नुकसान के संबंध में अपीलार्थी को उनके सभी अधिकारों और उपचारों को कम कर दिया था, इसलिए पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।यह तर्क दिया गया था कि डिसाइटेक्स ने डिसाइटेक्स को हुए कथित नुकसान के कारण पूर्ण और अंतिम समझौते में '7,16,30,148/- के लिए निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर किए थे, मध्यस्थता आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था।यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी ने 21.06.2014 दिनांकित पत्र का जवाब दिया था जिसमें कहा गया था कि डिसाइटेक्स ने केवल 31.05.2014 दिनांकित निर्वहन वाउचर वापस लिया था।अपीलार्थी ने यह भी कहा कि मध्यस्थता समझौते में ही, डिसाइटेक्स को हस्ताक्षर करने के बारे में विवरण और विवरण के साथ जबरदस्ती और दबाव के आरोप की सटीक शुद्धता की व्याख्या करनी थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

वाउचर निकालें।यह आगे तर्क दिया गया कि हालांकि डिसिटेक्स द्वारा भुगतान 09.06.2014 पर प्राप्त किया गया था, लेकिन इसने केवल 21.06.2014 पर विरोध किया।यहां तक कि 21 जून 2014 के पत्र में, डिसाइटेक्स ने 31.05.2014 दिनांकित डिस्चार्ज वाउचर का उल्लेख किया था, जिस पर बीमाकर्ता द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी।Dicitex ने दिनांकित 31.05.2014 निर्वहन वाउचर से पुनः आवेदन नहीं किया, और इस प्रकार उस आधार पर भी, यह मध्यस्थता आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है।

बी.

8. अपीलार्थी ने इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर भरोसा किया (नया भारतीय)

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015) 2 एस. सी. सी. 424।राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267; भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। वी मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी।

सी.

(2011) 12 एस. सी. सी. 349 आदि9. विवादित फैसले में, आवेदन को स्वीकार करते हुए, एकल न्यायाधीश ने बोघारा पॉलीफैब (ऊपर) सहित इस न्यायालय के फैसलों का विश्लेषण किया।यह नोट किया गया कि पत्राचार के अवलोकन ने प्रथम दृष्टया संकेत दिया कि बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त पहले सर्वेक्षणकर्ता ने डिसाइटेक्स के पक्ष में 12 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान की सिफारिश की थी।कुछ कारणों से, अपीलार्थी ने अपने स्वयं के सर्वेक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय लागत की पुनः गणना करने के लिए मेसर्स नवीन झंड एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया।यह भी माना गया कि डिसाइटेक्स ने सर्वेक्षणकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उनके मूल्यांकन के लिए 37,700 से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।डिसाइटेक्स ने समय-समय पर दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा था, जिससे पता चलता है कि उसने उन बैंकों से ऋण लिया था जो उन ऋणों और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उस पर दबाव बना रहे थे।उन बैंकों में डिसाइटेक्स के खाते से अतिरिक्त राशि निकाली गई थी।आग लगने के 27 महीने बाद ही उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम राशि को मंजूरी दी गई थी, जिससे डिसाइटेक्स को नुकसान हुआ था।डिसिटेक्स ने बैंकों द्वारा डिसिटेक्स को संबोधित लगभग 11 पत्र प्रस्तुत किए थे, जिसमें डिसिटेक्स से अपने बैंक खातों को नियमित करने और विभिन्न खातों में उसके द्वारा निकाली गई अतिरिक्त राशि को दिखाने का आह्वान किया गया था। डिसाइटेक्स ने दूसरे सर्वेक्षणकर्ता के आचरण को भी रिकॉर्ड में रखा था, जो उसके अनुसार, कई अन्य दस्तावेजों की मांग कर रहा था जो अनुचित थे और/या पहले से ही उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।विद्वान न्यायाधीश ने देखा कि प्रथम दृष्टया, डिसाइटेक्स वित्तीय संकट और

आर्थिक दबाव का सामना कर रहा था और इसकी विभिन्न तत्काल व्यावसायिक देनदारियों को देखते हुए, उसने स्पष्ट रूप से अनिच्छा से उक्त निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर किए।यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने विरोध पत्र के साथ डिसाइटेक्स द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे डिस्चार्ज वाउचर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।इसलिए, कुछ दिनों बाद, डिसाइटेक्स द्वारा एक डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर किए गए।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

399

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

हालाँकि, यह डिसाइटेक्स का मामला था कि अपीलार्थी ने उस पर एक स्वच्छ निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर करने और उसके द्वारा संबोधित विरोध पत्र को वापस लेने के लिए जोर दिया था, जिसमें विफल रहने पर, बीमाकर्ता राशि जारी नहीं करेगा, भले ही वह निर्वहन वाउचर में दिखाई दे।इसके बाद डिसाइटेक्स ने 31.05.2014 दिनांकित पत्र को वापस ले लिया और एक अन्य डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर किए।एक अन्य डिस्चार्ज वाउचर पर हस्ताक्षर करने के बाद, डिसाइटेक्स ने अपनी आपत्ति दर्ज की कि उत्तरदाताओं के दबाव के कारण उस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

बी.

10. किए गए विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए आवेदन की अनुमति दीः

“57. डिसाइटेक्स और उत्तरदाताओं के बीच बड़ी संख्या में आदान-प्रदान किए गए पत्राचार के अवलोकन पर, जो उत्तरदाताओं द्वारा विवादित नहीं थे, मेरे प्रथम दृष्टया, यह इंगित करता है कि डिसाइटेक्स आग लगने की तारीख से 27 महीनों के लिए अंतिम दावे को मंजूरी और भुगतान नहीं करने में उत्तरदाताओं की ओर से वित्तीय बाधा और आर्थिक और वित्तीय दबाव का सामना कर रहा था।डिसाइटेक्स को अपने बैंकरों के दबाव का सामना करना पड़ा और आयकर विभाग की मांग सहित अन्य व्यावसायिक देनदारियों से पीड़ित होने के कारण, डिसाइटेक्स आर्थिक और वित्तीय दबाव में था और इस प्रकार उक्त निर्वहन वाउचर को, मेरे प्रथम दृष्टया, बिना शर्त

निर्वहन वाउचर के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिससे डिसाइटेक्स भविष्य में उक्त निर्वहन वाउचर से उत्पन्न होने वाले अपने दावे को छोड़ देता है।

सी.

डी.

ई.

58. मेरे विचार में, यदि डिसाइटेक्स ने नुकसान के 27 महीनों के बाद डिसाइटेक्स के कारण होने वाली कथित राशि से कम राशि के भुगतान को स्वीकार करते हुए इस तरह के निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर नहीं किए होते, तो उत्तरदाताओं ने निर्वहन वाउचर में उल्लिखित राशि भी जारी नहीं की होती।मेरे विचार में, यदि उत्तरदाताओं के अनुसार, डिसाइटेक्स डिसाइटेक्स द्वारा दावा की गई राशि की वसूली करने का हकदार नहीं था, लेकिन कम राशि, उत्तरदाताओं के अनुसार देय राशि जारी कर सकते थे, लेकिन इस तरह के भुगतान को जारी करने से पहले एक पूर्व शर्त के रूप में निर्वहन वाउचर के निष्पादन के लिए जोर नहीं दे सकते थे।

एफ.

जी.

59. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता बीमा पॉलिसी या किसी अन्य प्रावधान में किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं कर सके।

एच.

उनके इस दावे के समर्थन में कि उत्तरदाताओं को उक्त दावे से उत्पन्न भविष्य में कोई दावा नहीं करने की पुष्टि के साथ डिसाइटेक्स के पक्ष में कोई भी भुगतान जारी करने से पहले इस तरह के निर्वहन वाउचर के निष्पादन के लिए जोर देने का अधिकार था।उच्चतम न्यायालय ने पहले ही सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों और सरकारी कंपनियों द्वारा कम राशि जारी करने की शर्त के रूप में इस तरह के दिनांकित निर्वहन वाउचर प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रथा की निंदा की है और कहा है कि उक्त प्रक्रिया अनुचित, अनियमित और अवैध है।यद्यपि मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत सदस्य को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके अनुबंध को समाप्त किया था, जिससे शपथ पत्रों और अभिवचनों के आधार पर बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त किया गया था या उक्त मुद्दे को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है, मेरे विचार में, यह उचित होगा यदि उत्तरदाताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा कि डिसाइटेक्स ने ऐसे निर्वहन वाउचर पर बिना शर्त हस्ताक्षर किए थे और डिसाइटेक्स द्वारा उठाया गया मुद्दा कि वह दबाव और जबरदस्ती के तहत था, निर्णायक रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किया

जाता है और यदि आवश्यक हो, तो मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व करके।मेसर्स के मामले में मुख्य न्यायाधीश का विद्वान नामित।याशो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2014 की मध्यस्थता याचिका No.314 में 24 जून 2015 को निर्णय लिया, जिस पर एक पक्ष द्वारा भरोसा किया जाता है, उसने भी ऐसा ही विचार रखा है।उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।60. जहाँ तक प्रत्यर्थियों द्वारा दावे की मध्यस्थता का मुद्दा इस आधार पर उठाया गया है कि डिसाइटेक्स ने दावा राशि को बीमित राशि से अधिक करने का प्रस्ताव किया है, यदि डिसाइटेक्स द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष बीमित राशि से अधिक कोई दावा किया जाता है, तो प्रत्यर्थियों को मध्यस्थता का ऐसा मुद्दा उठाया जा सकता है और इसका निर्णय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है।ऐसे आधार पर दावे की मध्यस्थता के मुद्दे पर इन कार्यवाहियों में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

61. नीति के मध्यस्थता समझौते का खंड 13 जो यह प्रावधान करता है कि यदि नीति के तहत भुगतान की जाने वाली मात्रा के बारे में कोई विवाद या अंतर उत्पन्न होता है, तो ऐसा अंतर एकल मध्यस्थ के निर्णय को संदर्भित किया जाएगा जिसे ए नियुक्त किया जाएगा।

एच.

401

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में या यदि वे किसी भी पक्षकार द्वारा मध्यस्थता का आह्वान करने के 30 दिनों के भीतर एक एकल मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो उसे तीन मध्यस्थों के पैनल को भेजा जाएगा।चूंकि उत्तरदाताओं ने 14 जुलाई 2014 के अपने पत्र में डिसाइटेक्स द्वारा सुझाए गए नामों में से किसी भी मध्यस्थ को नियुक्त करने से इनकार कर दिया है और किसी अन्य नाम का सुझाव नहीं दिया है, इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के

तहत दायर किया गया यह आवेदन विचारणीय है।मेरे विचार में, पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है।"

बी.

11. अपीलार्थी आग्रह करता है कि विवादित निर्णय गलत है।यह बताया गया है कि बोघारा पॉलीफैब में निर्णयों का प्रभाव,

सी.

मास्टर कंस्ट्रक्शन एंड जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर (ऊपर) और

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस बात का कोई सवाल नहीं हो सकता है कि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद था।प्रस्तावित राशियों को स्वीकार करने और आरक्षण और विरोध को वापस लेने के बाद, डिसाइटेक्स यह तर्क नहीं दे सकता था कि यह जबरदस्ती के अधीन था या अपीलार्थी ने इसे अंतिम निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था।डिसाइटेक्स के दिनांकित 06.06.2014 के पत्र बल दिया गया है, जिसमें उसने दिनांकित 31.05.2014 के पिछले पत्र को वापस ले लिया था, जिसमें पूर्ण निपटान में दी गई राशि के बारे में आरक्षण था।

डी.

12. डिसाइटेक्स के वकील आग्रह करते हैं कि इस न्यायालय को विवादित फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।यह आग्रह किया गया कि अभिलेख के रूप में सामग्री, विशेष रूप से पत्रों की निरंतर प्रवृत्ति, 06.06.2014 के पत्र से पहले के साथ-साथ उसके बाद के पत्राचार से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि डिसाइटेक्स गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था और निपटान दावे की लंबी प्रक्रिया ने इसे 06.06.2014 का उक्त पत्र जारी करने के लिए विवश किया।हालाँकि, तथ्य यह रहा कि प्रासंगिक समय में, इसे अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा।इसकी स्वीकृति वित्तीय मजबूरी के तहत थी जो आर्थिक जबरदस्ती के बराबर थी।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इन सभी सामग्रियों का बहुत ठीक से विश्लेषण विद्वान और कहा कि प्रथम दृष्टया, कोई पूर्ण और अंतिम समझौता या निर्वहन नहीं था।

ई.

एफ.

विश्लेषण और निष्कर्ष

जी.

13. इस मामले में अपीलार्थी के तर्क का मुख्य विषय यह है कि डिसाइटेक्स मध्यस्थता खंड को लागू नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने पूरी तरह से और अंत में प्रस्तावित राशि (यानी) को

स्वीकार कर लिया था।और दिनांकित 06.06.2014 पत्र द्वारा अपने विरोध और आपत्तियों को वापस ले लिया।इसमें उल्लेख किया गया है कि

बोघारा पॉलीफैब, मास्टर कंस्ट्रक्शन और जीनस पावर में निर्णय

एच.

(ऊपर) इस संबंध में।

402

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 14 एस सी आर।

14. अनापत्ति प्रमाणपत्र या निर्वहन वाउचर के संदर्भ में कोई विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे की जांच पहली बार बोघरा पॉलीफैब में की गई थी।इस न्यायालय ने धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन के संदर्भ में इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि यदि बकाया प्रमाणपत्र के कारण सहमति और संतुष्टि थी, तो धारा 11 के तहत एक संदर्भ बनाए रखने योग्य नहीं था।इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

बी.

“51. आइए हम विचार करें कि एक दीवानी न्यायालय ने ऐसे मामले में क्या किया होगा जहां प्रतिवादी वादी द्वारा जारी किए गए पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर के आधार पर सहमति और संतुष्टि का बचाव करता है, और वादी आरोप लगाता है कि यह धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया था और इसलिए मान्य नहीं है।यह सबूतों पर विचार करेगा कि क्या कोई धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव था।यदि यह पाया जाता है कि कोई नहीं था, तो यह वाउचर को अनुबंध के निर्वहन के रूप में स्वीकार करेगा और गुण-दोष के आधार पर दावे की जांच किए बिना दावे को अस्वीकार कर देगा।दूसरी ओर, यदि यह पाया जाता है कि डिस्चार्ज वाउचर धोखाधड़ी/अनुचित प्रभाव/जबरदस्ती से प्राप्त किया गया था, तो यह इसकी अनदेखी करेगा, जांच करेगा कि क्या वादी ने गुण-दोष के आधार पर दावा किया था और तदनुसार मामले का फैसला करेगा।मध्यस्थता का प्रावधान होने पर भी स्थिति समान होगी।

सी.

डी.

ई.

52. इस विषय पर चर्चा को पूरा करने के लिए कुछ उदाहरण (संपूर्ण नहीं) हैं कि कब दावे मध्यस्थता योग्य हैं और कब नहीं, जब सहमति और संतुष्टि से अनुबंध का निर्वहन विवादित है।

(i) एक दावे को सुलह या पूर्व-मुकदमेबाजी लोक अदालत के लिए संदर्भित किया जाता है।पक्ष बातचीत करते हैं और एक समझौते पर पहुंचते हैं।समझौते की शर्तें दोनों पक्षों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाती हैं और सुलहकर्ता या लोक अदालत के सदस्यों द्वारा सत्यापित की जाती हैं।सहमति और संतुष्टि के माध्यम से निपटान के बाद, मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।

एफ.

जी.

((ii) एक दावेदार कई दावे करता है।स्वीकृत या निर्विवाद दावों का भुगतान किया जाता है। इसके बाद विवादित दावों के निपटारे के लिए बातचीत की जाती है जिसके परिणामस्वरूप सभी लंबित दावों और विवादों को लिखित रूप में निपटाया जाता है।इस तरह के निपटान पर, सहमत राशि का भुगतान किया जाता है और ठेकेदार ए

एच.

403

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

एक डिस्चार्ज वाउचर/नो क्लेम सर्टिफिकेट/पूर्ण और अंतिम रसीद भी जारी करता है।इस तरह के समझौते और संतुष्टि द्वारा अनुबंध के निर्वहन के बाद, न तो अनुबंध और न ही कोई विवाद विचार के लिए जीवित रहता है।इसके बाद मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।

(iii) एक ठेकेदार काम को निष्पादित करता है और अनुबंध के संदर्भ में दस लाख रुपये के भुगतान का दावा करता है।नियोक्ता केवल छह लाख रुपये के दावे को स्वीकार करता है और ठेकेदार को लिखित या मौखिक रूप से सूचित करता है कि जब तक ठेकेदार अनुबंध की पूरी और अंतिम संतुष्टि में छह लाख रुपये की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रारूप में डिस्चार्ज वाउचर नहीं देता है, तब तक स्वीकार की गई राशि का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।जिस ठेकेदार पर धन के लिए कड़ी मेहनत की जाती है और वह स्वीकार की गई राशि जारी करने के लिए उत्सुक होता है, वह बिंदीदार रेखा पर या तो मुद्रित रूप में या अन्यथा यह कहते हुए हस्ताक्षर करता है कि राशि पूर्ण और अंतिम निपटान में प्राप्त हुई है।ऐसे मामले में, निर्वहन नियोक्ता द्वारा लगाए गए जबरदस्ती के कारण आर्थिक दबाव में होता है।जाहिर है, निर्वहन वाउचर को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है या इसके परिणामस्वरूप समझौते का

निर्वहन सहमति और संतुष्टि से किया गया है।यह मध्यस्थता के लिए बाधा नहीं होगी।((iv) बीमित व्यक्ति नुकसान का दावा करता है।दावा न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है।लेकिन बीमित व्यक्ति को चर्चा के दौरान सूचित किया जाता है कि जब तक दावेदार एक निर्दिष्ट राशि (बीमित व्यक्ति द्वारा दावा की गई राशि से बहुत कम) के लिए पूर्ण और अंतिम वाउचर नहीं देता है, तब तक पूरा दावा खारिज कर दिया जाएगा।वित्तीय कठिनाइयों में होने के कारण, दावेदार मांग के लिए सहमत हो जाता है और पूर्ण और अंतिम निपटान में एक दिनांकित निर्वहन वाउचर जारी करता है।इसके कुछ ही दिनों बाद, वाउचर में उल्लिखित स्वीकृत राशि का भुगतान किया जाता है।ऐसे मामले में समझौता और संतुष्टि स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि दबाव, मजबूरी और जबरदस्ती के तहत है।जबरदस्ती सूक्ष्म है, लेकिन बहुत वास्तविक है।'समझौता' स्वतंत्र सहमति से नहीं होता है।इस प्रकार विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता समझौते को लागू किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

(v) एक दावेदार नुकसान के रूप में एक बड़ी राशि का दावा करता है।प्रत्यर्थी दावे पर विवाद करता है।दावेदार जो समझौता करने और मुकदमेबाजी से बचने का इच्छुक है,

एच.

स्वेच्छा से दावे और निपटान के अनुरोध को कम कर देता है।प्रत्यर्थी सहमत होता है और दावे का निपटारा करता है और एक पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर प्राप्त करता है।यहां भले ही दावेदार वित्तीय मजबूरियों और वाणिज्यिक दबाव या आर्थिक दबाव के कारण निपटान के लिए सहमत हो गया हो, निर्णय उसकी स्वतंत्र पसंद थी।प्रत्यर्थी द्वारा कोई धमकी, जबरदस्ती या मजबूरी नहीं थी।इसलिए, समझौता और संतुष्टि बाध्यकारी और वैध है और इसके बाद कोई दावा या मध्यस्थता का संदर्भ नहीं हो सकता है।

बी.

52. आइए अब इस मामले में ली गई रसीद की जांच करें।यह दिनांकित नहीं है और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एक प्रो फॉर्मा में है जिसमें अप्रासंगिक और अनुचित बयान हैं।इसमें कहा गया

है:“मैं/हम इसके द्वारा कंपनी को चोरी की गई प्रभावित संपत्ति पर अपना अधिकार सौंपते हैं, जो उनकी वसूली की स्थिति में कंपनी की संपत्ति होगी।दावा किसी संपत्ति की चोरी के संबंध में नहीं था और न ही चोरी के दावे के संबंध में दावे का निपटारा किया जा रहा था।हम इस पहलू का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि कैसे दावेदारों को बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, और कैसे इस तरह के वाउचर पर जोर दिया जाता है और बिना दिमाग लगाए यांत्रिक रूप से लिया जाता है।”

सी.

डी.

15. मास्टर कंस्ट्रक्शन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

ई.

“20. बोघरा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड की पीठ ने पैराग्राफ 42 और 43 में अपने समक्ष उद्धृत मामलों के संदर्भ में उल्लेख किया कि उद्धृत मामलों की दो श्रेणियां थीं; (एक) जहां न्यायालय ने तथ्यों पर विचार करने के बाद पाया कि एक पूर्ण और अंतिम समझौता हुआ था जिसके परिणामस्वरूप सहमति और संतुष्टि हुई, और जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के आरोपों में कोई सार नहीं था और इसके परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है और (दो) जहां न्यायालय को दावेदारों के तर्क में कुछ सार मिला कि 'कोई बकाया/दावा प्रमाण पत्र नहीं' या 'पूर्ण और अंतिम निपटान निर्वहन वाउचर' पर जोर दिया गया था और (या तो मुद्रित प्रारूप में या अन्यथा) जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में लिया गया था।

एफ.

जी.

21. बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड में अनुबंध के निर्वहन के परिणामों पर भी विचार किया गया।पैरा 25 ए में

एच.

405

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

(पृष्ठ 284), यह समझाया गया था कि जब एक अनुबंध पूरी तरह से निष्पादित किया गया है, तो प्रदर्शन द्वारा अनुबंध का निर्वहन होता है और अनुबंध समाप्त हो जाता है और इस तरह के निर्वहन अनुबंध के संबंध में कुछ भी नहीं रहता है और कोई विवाद नहीं हो सकता है और इसके

परिणामस्वरूप, एक निर्वहन अनुबंध से उत्पन्न किसी भी विवाद के मध्यस्थता का संदर्भ नहीं हो सकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह प्रश्न कि क्या अनुबंध निष्पादन द्वारा निष्पादित किया गया है या नहीं, तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है, और यदि उस प्रश्न के संबंध में कोई विवाद है, तो ऐसा प्रश्न मध्यस्थता योग्य है।हालाँकि, न्यायालय ने इस प्रस्ताव के लिए एक अपवाद का उल्लेख किया।अपवाद यह देखा गया है कि जहां किसी अनुबंध के दोनों पक्ष लिखित रूप में पुष्टि करते हैं कि अनुबंध पूरी तरह से और अंत में सभी दायित्वों के निष्पादन द्वारा निष्पादित किया गया है और कोई बकाया दावा या विवाद नहीं हैं, अदालतें किसी भी बाद के दावे या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करेंगी।फिर भी इसमें एक अन्य अपवाद उन मामलों के संबंध में है जहां अनुबंध के पक्षों में से एक पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर (या नो-ड्यू प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो) जारी करता है जो पुष्टि करता है कि उसे सभी दावों का पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में भुगतान प्राप्त हो गया है, और उसका कोई बकाया दावा नहीं है।यह देखा गया कि पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर या उस तरह का नो-ड्यू प्रमाणपत्र जारी करना स्वीकृति या प्रदर्शन द्वारा अनुबंध के निर्वहन के बराबर है और निर्वहन वाउचर/प्रमाण पत्र जारी करने वाला पक्ष इसके बाद कोई नया दावा नहीं कर सकता है या किसी भी तय किए गए दावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है और न ही वह किसी भी दावे के संबंध में मध्यस्थता का संदर्भ ले सकता है।22. पैराग्राफ 26 (पेज 284-285) में, बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय ने कहा कि यदि कोई पक्ष जिसने निर्वहन समझौते या निर्वहन वाउचर को निष्पादित किया है, आरोप लगाता है कि ऐसे दस्तावेज़ का निष्पादन दूसरे पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के कारण था, और यदि वह पक्ष इसे स्थापित करता है, तो ऐसा निर्वहन वाउचर या समझौता अमान्य हो जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और परिणामस्वरूप, ऐसे पक्ष द्वारा उठाया गया कोई भी विवाद मध्यस्थता होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

23. बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के पैराग्राफ 24 (पेज 284) में इस न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता के लिए दावा नहीं किया जा सकता है।

एच.

केवल या पूरी तरह से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि दावेदार द्वारा एक निपटान समझौते या निर्वहन वाउचर को निष्पादित किया गया है।न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विवाद का निर्णय मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा कार्यवाही में करना होगा।24. हमारी राय में, निरपेक्ष प्रकार का कोई नियम नहीं है।एक ऐसे मामले में जहां दावेदार का तर्क है कि एक निर्वहन वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है और दूसरा पक्ष इसकी शुद्धता का विरोध करता है, मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को कम से कम, प्रथम दृष्टया, यह पता लगाने के लिए इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि विवाद प्रामाणिक और वास्तविक है या नहीं।जहां दावेदार द्वारा निर्वहन वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट या निपटान समझौते की वैधता के संबंध में उठाया गया विवाद, प्रथम दृष्टया, विश्वसनीयता में कमी प्रतीत होता है, वहां विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि मध्यस्थता की लागत काफी बड़ी है- ज्यादातर समय, यह छह और सात अंकों में चलती है।किसी पक्ष पर बोझ डालना उचित नहीं हो सकता है, जो यह तर्क देता है कि विवाद अनुबंध के निर्वहन के कारण मध्यस्थता की भारी लागत के साथ मध्यस्थता की भारी लागत के साथ मध्यस्थता के कारण दावेदार द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की याचिका ली गई है।धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक गंजी याचिका पर्याप्त नहीं है और जो पक्ष इस तरह की याचिका दायर करता है, उसे मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के समक्ष सामग्री पेश करके इसे प्रथम दृष्टया स्थापित करना चाहिए।यदि मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोप में कुछ योग्यता मिलती है, तो वह उसी पर निर्णय ले सकते हैं या इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ सकते हैं।दूसरी ओर, यदि इस तरह की याचिका एक विचार के बाद, मनगढ़ंत या विश्वसनीयता में कमी पाई जाती है, तो मामले को वहाँ-वहाँ शांत किया जाना चाहिए।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. जीनस पावर (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

जी.

“8. इसलिए यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव की एक गंजी याचिका पर्याप्त नहीं है और जो पक्ष याचिका दायर करता है, उसे मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित

व्यक्ति के समक्ष सामग्री पेश करके इसे प्रथम दृष्टया स्थापित करना चाहिए।इस प्रकार देखा जाए तो ए

एच.

407

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका में प्रासंगिक कथनों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित प्रभाव के थे:********** **********

(छ) कि उक्त सर्वेक्षणकर्ता, प्रत्यर्थी कंपनी के साथ मिलकर, प्रत्यर्थी कंपनी को याची को इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने के अपने पूर्ण दायित्व से बचने के लिए, पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया, नुकसान का आकलन करने के लिए अनुचित प्रभाव और दबाव के तरीकों को अपनाया और याची को दावा प्रपत्र सहित कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।प्रत्यर्थी कंपनी ने याची के उचित दावे को उनके चूक और कमीशन के कार्यों और जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके अस्वीकार कर दिया और याची कंपनी को कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसमें उक्त राशि के लिए पहले से तैयार निर्वहन वाउचर भी शामिल था, जिसे याची कंपनी को उक्त अवधि के दौरान अत्यधिक वित्तीय कठिनाई की अवधि में ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था।जैसा कि ऊपर कहा गया है, याची कंपनी को कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें एक पत्र भी शामिल था जिसमें एक करोड़ रुपये के नुकसान को स्वीकार किया गया था। 6,09,55,406/- और रुपये के दावे का निपटान करें। <आई. डी. 1,179/- जबकि वास्तविक हानि राशि रु. 28,79,08,116/- याची कंपनी के हित के विरुद्ध।उक्त पत्र और उपरोक्त पूर्व-तैयार निर्वहन वाउचर में कहा गया है कि याची ने दावे की राशि को पूर्ण और अंतिम निपटान में स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार, याची कंपनी को इसे एकतरफा रूप से स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।याची कंपनी को प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा दबाव और जबरदस्ती के तहत उक्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।प्रत्यर्थी कंपनी ने याची कंपनी को उक्त राशि को पूर्ण और अंतिम रूप से स्वीकार करने की धमकी दी अन्यथा प्रत्यर्थी कंपनी अग्नि नीति के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं करेगी।यह ऐसी मजबूर करने वाली परिस्थितियों में था कि याची कंपनी को मजबूर किया गया और दबाव में स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

9. हमारे सुविचारित विचार में, प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई याचिका किसी भी विवरण और विवरण से रहित है, और एक गंजे दावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है।इस तथ्य को देखते हुए कि उस समय के आसपास या उसके तुरंत बाद कोई विरोध या विरोध नहीं हुआ था

एच.

अभिवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, कि दिनांकित सूचना लगभग तीन सप्ताह के बाद थी और प्रत्यर्थी की वित्तीय स्थिति इतनी अनिश्चित नहीं थी कि उसके पास सुझाए गए नियमों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, हमारा दृढ़ विचार है कि वर्तमान मामले में आरोपमुक्त करने और अभिवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने का कारण किसी अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं था।इस तरह का निर्वहन और अधीनता पत्र पर हस्ताक्षर स्वैच्छिक था और किसी भी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से मुक्त था।इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि अनुरोध पत्र के निष्पादन पर, दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान हुआ था।चूंकि इस प्रश्न का हमारा उत्तर, कि क्या वास्तव में सहमति और संतुष्टि थी, सकारात्मक है, हमारे विचार में कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद नहीं था ताकि अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सके। इसलिए उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं था।

बी.

सी.

17. वेलुगुबंती हरि बाबू बनाम पार्वतीनी नरसिम्हा राव और

डी.

एन. आर. (2016) 14 एस. सी. सी. 126, बोघारा पॉलीफैब में निर्णयों की पंक्ति

(ऊपर) का पालन किया गया।बाद में, ओ. एन. जी. सी. मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम ए. एन. एस. कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड और ए. एन. आर. (2018) 3 एससीसी 373, न्यायालय

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

“24. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से हम पाते हैं कि संविदाकारी-कंपनी ने 21.09.2012 पर "कोई बकाया/कोई दावा प्रमाणपत्र" जारी नहीं किया था, उसे अंतिम बिल की पूरी राशि प्राप्त हुई थी जो रु। 20.34 करोड़ 10.10.2012 पर और उसके 12 दिनों के बाद, यानी केवल

24.10.2012 पर, संविदाकारी-कंपनी ने "कोई बकाया/कोई दावा प्रमाण पत्र" जारी करते हुए 21.09.2012 दिनांकित पत्र वापस ले लिया।इसके अलावा, हम यह भी पाते हैं कि अंतिम विधेयक पर अनुबंध के दोनों पक्षों द्वारा किए गए काम की मात्रा को स्वीकार करते हुए, अनुबंध के अनुसार अंतिम माप करते हुए, काम के अंतिम मूल्य, किए गए भुगतान और अंतिम भुगतान पर पहुंचने के लिए पारस्परिक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं।संविदाकारी-कंपनी ने अपने सभी दावों की पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में अंतिम भुगतान को स्वीकार कर लिया।हमारी यह सुविचारित राय है कि वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, अंतिम विधेयक को उठाने और उस संबंध में पक्षों के आपसी समझौते में, सभी दावे, अधिकार और दायित्व अंतिम विधेयक के साथ विलय हो जाते हैं और कुछ भी नहीं

ई.

एफ.

जी.

एच.

409

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

आगे किया जाना बाकी है।इसके अलावा, अपीलार्थी-ठेकेदार ने दिनांक 19.06.2013 का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जिसके अनुसार अपीलार्थी-ठेकेदार को सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया गया है।इस मुद्दे के संबंध में कि "नो-ड्यू सर्टिफिकेट" दबाव और जबरदस्ती के तहत दिया गया था, हमारी राय है कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उक्त प्रमाणपत्र दबाव या जबरदस्ती के तहत दिया गया था और चूंकि प्रमाण पत्र ने स्वयं कोई बकाया नहीं दिया था, इसलिए संविदाकारी अब यह नहीं कह सकता था कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के कारण कोई और भुगतान अभी भी देय था।दबाव के बारे में कहानी इस पृष्ठभूमि में एक विचार था कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान की कल्पना पहले संविदाकारी द्वारा नहीं की गई थी।वित्तीय दबाव या जबरदस्ती के बारे में, इस तरह का कुछ भी प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं है।केवल यह आरोप कि वित्तीय दबाव और जबरदस्ती के तहत नो-क्लेम प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं, बिना यह सुझाव देने के लिए और कुछ भी है, एक मध्यस्थ विवाद का कारण नहीं बनता है।संविदाकारी के आचरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि "नो-क्लेम सर्टिफिकेट" उसके द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था; संविदाकारी ने स्वेच्छा से राशि स्वीकार की और अनुबंध का स्वेच्छा से निर्वहन किया गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

निष्कर्षः

25. मान लीजिए, संविदाकारी-कंपनी द्वारा 21.09.2012 पर नो-ड्यू सर्टिफिकेट जमा किया गया था और उनके अनुरोध पर अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया था। संविदाकारी ने एक महीने के अंतराल के बाद, यानी <आई. डी. 2 पर, जबरदस्ती और दबाव के आधार पर बकाया प्रमाणपत्र वापस ले लिया और अनुबंध स्थल के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान का दावा दिनांकित 12.01.2013 के पत्र के माध्यम से किया गया था, यानी साढ़े तीन महीने के अंतराल के बाद, जबकि अंतिम बिल का निपटारा <आई. डी. 3 पर किया गया था।जब संविदाकारी अपने सभी दावों के पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में अंतिम भुगतान को स्वीकार करता है, तो विलंबित चरण में अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुए नुकसान के लिए दावा करने का कोई मतलब नहीं है, जिससे थोड़ा सा संदेह पैदा होता है कि अंतिम बिल जमा करते समय इस तरह के दावे का निपटारा क्यों नहीं किया गया था, वह भी दबाव या दबाव के अभाव में।

एफ.

जी.

एच.

अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा संविदाकारी पर जबरदस्ती।हमारे सुविचारित विचार में, संविदाकारी-कंपनी द्वारा उठाई गई याचिका किसी भी विवरण और विवरण से रहित है, और एक गंजे दावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है।इन परिस्थितियों में, दावे का पूर्ण और अंतिम समाधान था और वास्तव में सहमति और संतुष्टि थी और हमारे विचार में कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद नहीं था ताकि अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सके। इसलिए, उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं था।

बी.

18. यह स्पष्ट है कि बोघारा पॉलीफैब (उपरोक्त) में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं बताया गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बाद के निर्णय तथ्यों के संदर्भ में थे जो न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे।बोघारा पॉलीफैब (उपरोक्त) में दर्ज निष्कर्षों का प्रस्ताव (iii) देय भुगतानों को रोकने के कारण दबाव या जबरदस्ती की कल्पना करता है।न्यायालय ने एक से अधिक स्थानों पर माना कि एक पीड़ित पक्ष आर्थिक जबरदस्ती का शिकार हो सकता है जिसके

परिणामस्वरूप वह एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है जो दूसरे पक्ष को अपने दायित्वों का निर्वहन करता है।मास्टर कंस्ट्रक्शन (ऊपर) ने मामले को परिप्रेक्ष्य में रखा, जब न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत का प्रतिपादन किया:

सी.

डी.

"हमारी राय में, निरपेक्ष प्रकार का कोई नियम नहीं है।एक ऐसे मामले में जहां दावेदार का तर्क है कि एक निर्वहन वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है और दूसरा पक्ष इसकी शुद्धता का विरोध करता है, मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को कम से कम, प्रथम दृष्टया, यह पता लगाने के लिए इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि विवाद प्रामाणिक और वास्तविक है या नहीं।जहां दावेदार द्वारा निर्वहन वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट या निपटान समझौते की वैधता के संबंध में उठाया गया विवाद, प्रथम दृष्टया, विश्वसनीयता में कमी प्रतीत होता है, वहां विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।"

ई.

एफ.

इसी तरह, जीनस पावर (उपरोक्त) में, न्यायालय ने आगाह किया कि किसी भी सहायक सामग्री के बिना जबरदस्ती की "गंजी याचिका" न्यायालय के लिए यह मानने के लिए अपर्याप्त है कि समझौता/संतुष्टि या कोई बकाया प्रमाण पत्र अनैच्छिक रूप से नहीं दिया गया था।

जी.

19. वर्तमान मामले में तथ्यों पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलेगा कि हालांकि धारा 11 (6) के तहत प्रारंभिक आवेदन में अभिवचन कमजोर हैं, फिर भी, रिकॉर्ड पर सामग्री, ए की प्रतियों के रूप में है।

एच.

411

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

पक्षों के बीच पत्राचार-जो 2 वर्षों से अधिक समय तक चलता है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डिसाइटेक्स बार-बार कहता रहा कि वह वित्तीय संकट का सामना कर रहा था; इसने अपने व्यवसाय के लिए प्राप्त क्रेडिट और बैंक को भुगतान करने की तात्कालिकता का उल्लेख किया।यह रिकॉर्ड की बात है कि सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट, दिनांक 14.08.2014, ने डिसाइटेक्स को

'12,93,26,704.98-के भुगतान की सिफारिश की।समान रूप से, यह रिकॉर्ड की बात है कि अपीलार्थी ने कुछ इन्वेंट्री और बिक्री के आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए मामले को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म को भेजा।यह बाद वाले की रिपोर्ट के अनुसार चला गया, जिसने कहा कि नुकसान का अनुमान '7,16,30,148/- से अधिक नहीं हो सकता है।मई, 2014 तक डिसाइटेक्स को यही पेशकश की गई थी।धारा 11 (6) के तहत डिसाइटेक्स का आवेदन अपीलार्थी को लिखे गए पत्रों की संख्या के संदर्भों से भरा हुआ है, जिसमें राशि जारी करने की मांग की गई है; इसने अपने आयकर बकाया का भुगतान करने में असमर्थता, बैंकरों के दबाव (जिसके समर्थन में, आवेदन के साथ बैंकरों के पत्रों की प्रतियां पेश की गई थीं) को भी दरकिनार किया।20. उन परिस्थितियों के बारे में डिसाइटेक्स के कथन, जिनके कारण यह अनापत्ति निर्वहन वाउचर को निष्पादित करने के लिए प्रेरित हुआ, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

बी.

सी.

डी.

“31. प्रत्यर्थियों ने 31 मई, 2014 को अपना पत्र प्रस्तुत करने और 31 मई, 2014 को अपना पत्र प्रस्तुत करने के बाद याची को कुछ भी भुगतान नहीं किया और इसलिए याची की ओर से मुंबई में प्रत्यर्थी के क्षेत्रीय कार्यालय को कई टेलीफोन कॉल किए गए ताकि प्रत्यर्थियों को निपटान राशि बढ़ाने के लिए राजी किया जा सके ताकि लगभग 5 लाख रुपये की अंतर राशि को शामिल किया जा सके। 7 करोड़।याची ने विशेष रूप से प्रत्यर्थियों से यह भी अनुरोध किया कि वे किसी भी स्थिति में दावे की शेष राशि के किसी भी हिस्से के भुगतान के लिए पूर्ववर्ती शर्त के रूप में निर्धारित निर्वहन वाउचर के निष्पादन पर सख्ती से जोर न दें।32. चूंकि, एक ओर, प्रत्यर्थियों ने किसी भी मामले में पीछे हटने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया और इसके बजाय इस बात पर जोर देना जारी रखा कि याची को कोई भी आगे का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब निर्वहन वाउचर को ठीक उसी समय और उत्तरदाताओं द्वारा आवश्यक रूप और तरीके से निष्पादित किया गया था और साथ ही 31 मई, 2014 का पत्र वापस ले लिया गया था और दूसरी ओर, याची को अपनी बढ़ती देनदारियों को पूरा करने के लिए धन की तत्काल आवश्यकता थी, याची को 31 मई, 2014 के अपने पहले के पत्र को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था और आरोप को निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

वाउचर ठीक वैसा ही जैसा उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित किया गया है।तदनुसार, याची ने 6 जून, 2014 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि वह 31 मई के अपने पत्र को वापस ले रहा है और विधिवत निष्पादित निर्वहन वाउचर को भी संलग्न कर रहा है।याची ने यह भी अनुरोध किया कि दावे की राशि का उसे तुरंत भुगतान किया जाए।"

बी.

आवेदन में बाद में दावा किया गया है कि अपीलार्थी ने राशि का भुगतान किया था।फिर भी, डिसाइटेक्स ने बाद में तीन पत्रों में दावे की राशि में कमी के आधार पर सवाल उठाया।बाद में उसने आरोप लगाया कि उसने एक

उत्तरदाताओं को 14 जुलाई, 2014 को पत्र में कहा गया है कि चूंकि उन्हें प्रस्तावित राशि को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था और चूंकि याची को भुगतान किए गए दावे के निपटारे की मात्रा पर विवाद था, इसलिए याची अंतर राशि की वसूली के लिए उक्त नीति के खंड 13 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान कर रहा था।"

सी.

21. डिसाइटेक्स के आवेदन (धारा 11 (6) के तहत) के समग्र अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्वहन वाउचर की अनैच्छिक प्रकृति के संबंध में इसकी शिकायत व्यक्त की गई थी।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि दो साल से अधिक समय तक चले कई पत्रों में कहा गया था कि दावे के निपटारे में देरी के कारण यह वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, जो अपीलार्थी को संबोधित किए गए थे।यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन एक अभिवचन के रूप में है जो केवल एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए न्यायालय के आदेश की मांग करता है।यह उन दलीलों या दलीलों के बारे में निर्णायक नहीं हो सकता है जो दावेदार या संबंधित पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में ले सकते हैं।इस स्तर पर, इसलिए, न्यायालय-जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक मध्यस्थता विवाद मौजूद है, को प्रथम दृष्टया जबरदस्ती की याचिका की वास्तविकता या विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होना होगा; यह याचिका की प्रकृति के बारे में बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता है, जिसे अनिवार्य रूप से मूल (पढ़ेः मध्यस्थता) कार्यवाही में बनाया और स्थापित किया जाना है।यदि न्यायालय एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है और याचिका की बारीकी से जांच करता है और इसकी विश्वसनीयता या तर्कसंगतता का न्याय करता है, तो आवेदक को एक मंच से पूरी तरह से वंचित करने का खतरा होगा, क्योंकि आवेदन की अस्वीकृति निष्कर्ष (निर्वहन की अंतिमता और संतुष्टि के रूप में इसके प्रभाव के बारे में) को अंतिम बना देगी, इस प्रकार, आवेदक को दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए अपने सही घटना से वंचित कर देगा।वहाँ हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

इस न्यायालय के निर्णय (एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन बनाम पवनहंस)

हेलीकॉप्टर लिमिटेड (2008) 16 एस. सी. सी. 128 और बोघारा पॉलीफैब (ऊपर) ने आर्थिक दबाव की अवधारणा को बरकरार रखा।तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और ए

एच.

413

मूल बीमा कंपनी। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.डायसिटेक्स फर्निशिंग लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.]

परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि विवादित फैसले में तर्क को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

22. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील को अपरिवर्तित माना जाता है; इसे बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

बी.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.